राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2442/2025

नरेन्द्र सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किये जाने पर प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदनों में अपीलार्थी को विकल्प फॉर्म भरने के बाद वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.09.2013 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी। आदेश दिनांक 08.02.2016 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर स्थायी किया गया। अपीलार्थी एम.ए., बी.एससी., बी.एड. की योग्यता धारित करता है एवं इसे अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में भी जोड़ा गया है। इस प्रकार अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 की अनुसूची–II (अधीनस्थ सेवाओं के पद) के अनुसार प्रयोगशाला सहायक के पद से पदोन्नति के लिए दो विकल्प है, एक वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और दूसरा वरिष्ठ अध्यापक। अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता धारित करता है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 11.03.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2021–22 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से विकल्प पत्र प्राप्त किए बिना ही पदोन्नति आदेश जारी कर दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को गलत तरीके से वरिष्ठ अध्यापक के

स्थान पर वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया है, जबकि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता भी रखता है और नियमों के अनुसार, प्रयोगशाला सहायक के पद से पदोन्नति के लिए प्रत्यर्थी विभाग ने पदोन्नति के लिए मानदंड तय कर रखे हैं, एक वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और दूसरा वरिष्ठ अध्यापक। प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यर्थियों से वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में से एक विकल्प चुनने के लिए विकल्प प्राप्त करने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान मामले में, उन्होंने कोई विकल्प मांगे बिना ही अपीलार्थी को अवैध रूप से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नत कर दिया, जबकि अपीलार्थी अपनी योग्यता के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत होना चाहता है। उपरोक्त संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दिनांक 17.09.2024 एवं 19.09.2024 (अनुलग्नक–4 एवं 5) भी प्रस्तुत किये हैं, जिसमें अपीलार्थी ने यह स्पष्ट किया था कि अपीलार्थी वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद साथ–साथ वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए समस्त योग्यता धारित करता है एवं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के भाग–5 पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के बिन्दु 32 पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया के उप बिन्दु (2) के परन्तुक (i) से (iv) में एक ही पद से दो आगामी पदोन्नति पद होने पर पात्र कार्मिक से विकल्प पत्र लिए जाने की प्रक्रिया वर्णित है। उक्त अभ्यावेदनों पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, जो अनुचित एवं अवैध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किय जावे कि अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थी से पदोन्नति के संबंध में विकल्प पत्र प्राप्त करे एवं अपीलार्थी द्वारा भरे गये विकल्प के आधार पर ही अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रस्तुत अपील के सन्दर्भ में माननीय अधिकरण के समक्ष प्रथम दृष्ट्या ही वर्णित किया जाना उचित होगा कि अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद से व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) तथा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) के पद हेतु जो विकल्प मांगे जाने के जिस प्रावधान को वर्णित करते हुए माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है उक्त प्रावधान को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.04.2022 (अनुलग्नक–आर/1) के द्वारा "डिलीट"/निरस्त किया जा चुका है क्योंकि राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रधानाध्यापक (मा०शि०) के पद को समाप्त/डाईकैडर घोषित किया जा चुका है तथा वर्णित प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है। साथ ही माननीय अधिकरण के समक्ष यह भी वर्णित किया जाना उचित होगा कि प्रयोगशाला सहायक के पद से पदोन्नति हेतु विकल्प मांगे जाने का कोई भी प्रावधान नियमों में वर्णित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है। इस सन्दर्भ में माननीय अधिकरण के समक्ष वर्णित किया जाना उचित होगा कि राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति परित्याग के सन्दर्भ में भी प्रावधानों को

समय–समय पर वर्णित किया गया है, यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग करता है तो वह आगामी दो वर्ष की नियमित डीपीसी हेतु पदोन्नति का पात्र नहीं होता है, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दू संख्या 10.2 में पदोन्नति परित्याग के सन्दर्भ में निम्न प्रावधान वर्णित किये गये है :–

> ''10.2 जो राजसेवक आवश्यक अस्थाई अथवा नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर पदोन्नत किया गया था, यदि वह लिखित अनुरोध इस आशय से करता है कि वह पदोन्नति को स्वीकार नहीं (forego) करता है और सम्बन्धित प्राधिकारी इस अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो इस प्रकार का राजसेवक आगामी दो भर्ती वर्षों के लिये आवश्यक अस्थाई अथवा नियमित पदोन्नति हेतु पात्र नही होगा और उसका नाम पदोन्नति हेतु तैयार की जाने वाली पात्रता सूची में आगामी दो वर्षों तक सम्मिलित नहीं किया जाए।''

इस प्रकार स्पष्टया अपीलार्थी कार्मिक पदोन्नति परित्याग उपरांत आगामी दो डीपीसी वर्ष हेतु पदोन्नति का पात्र नहीं है तथा अपीलार्थी कार्मिक पदोन्नति परित्याग के सन्दर्भ में भी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार को कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पदोन्नति परित्याग के सन्दर्भ में यह भी वर्णित किया जाना उचित होगा कि पदोन्नति परित्याग का सीधा प्रभाव राज्य कर्मचारी को देय एसीपी के वित्तीय लाभ पर भी होता है। यदि कोई राज्य कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग करता है तो वह कर्मचारी जब तक पदोन्नति को पुनः स्वीकार नहीं कर लेता तब तक वह एसीपी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के आदेश कमांक :– No. F. 15(1)FD/Rules/2017 Jaipur] Dated : 30th October, 2017 के नियम 14 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अधिनस्थ कार्मिकों के लिए एसीपी के प्रावधान लागू किये गये तथा एसीपी के संबंध में विस्तृत आदेश शिड्यूल–IV में जारी किये गये है। उनका कथन है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के निर्देशानुसार प्रत्येक सत्र हेतु प्रत्येक संवर्ग की नियमित डीपीसी का आयोजन उस चयन वर्ष में 01 अप्रैल की तिथि को आधार मानकर पात्रता प्रकाशित करने के पश्चात किया जाता है। इसके तहत् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग के द्वारा सत्र 2021–22 की प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की पदोन्नति आदेश दिनांक 11.03.2023 के द्वारा की गई। जिसमें उक्त अपीलार्थी का सत्र 2021–22 की वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद पर डीपीसी में पात्र होने के कारण अपीलार्थी का चयन किया गया। सेवा नियमों के अनुसार कार्मिकों की उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण वर्ष 2021–22 से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति का कार्य लम्बित है। इस कारण वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चल रही है, परन्तु वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की पदोन्नति निरन्तर आयोजित की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की डीपीसी बैठक आयोजित की गई एवं जो भी उक्त डीपीसी में पदोन्नति की पात्रता धारित करते थे, उनको नियमानुसार पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। अतः

अपीलार्थी प्रस्तुत अपील के माध्यम से वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन एवं मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधिनस्थ) सेवा नियम 2021 की अनुसूची–II के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रयोगशाला सहायक को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु निम्न पात्रता/योग्यता निर्धारित की गई है –

" Five years' experience on the post mentioned in column number 6 with–

(i) For the posts at serial number 1, 2,3 and 5: Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as optional subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government'

(ii) For the post at serial number 4: Graduate or equivalent examinaiton recognized by UGC with at least two of the following subjects as optional subject: Physics, Chemistry, Zoology, Botny, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-chemistry, and Degree or Diploma in Educaiton recognized by the National Council of Teacher Education/Government,

(iii) For the post at serial number 6: Graduate or eqivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subject: History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government."

इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु निम्न योग्यता/पात्रता निर्धारित की गई है :–

" Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as optional subjects:- Chemistry, Zoology, Botany, Micro- Biology, Bio-Technology and Bio-chemistry with five years' experience on the post mentioned in column number 6 or Senior Secondary with 10 years' experience on the post mentioned in column number 6."

हम यह पाते हैं कि नियमों में प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पदोन्नति का प्रावधान है। अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक पद पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता/पात्रता धारित करता है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.03.2023 द्वारा वरिष्ठ प्रयोगाशाल सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई परन्तु अपीलार्थी ने इसका परित्याग किया एवं दो अभ्यावेदन दिनांक 17.09.2024 एवं दिनांक 19.09.2024 को प्रस्तुत कर पदोन्नति के संबंध में विकल्प प्राप्त करने एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत करने का निवेदन किया है। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 17.09.2024 एवं 19.09.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक पद की निर्धारित पात्रता रखता है और वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति लेना चाहता है। पदोन्नति दो अलग–अलग पदों पर करने का चैनल है, परंतु नियमों में विकल्प पत्र भरवाने का प्रावधान नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा क्या

कार्यवाही की गई है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 11.03.2023 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध कर दी गई थी, जिसका अपीलार्थी ने परित्याग कर दिया एवं उसके पश्चात अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

अतः इस प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जावे एवं वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति परित्याग की दो वर्ष की अवधि समाप्ति पर विचार किया जावे। उक्त संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निस्तारण किया जावे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति विलम्ब से होती है एवं उससे पहले कनिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर होती है तो इस अवधि के लिये अपीलार्थी कोई परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा एवं अपनी वरिष्ठता के आधार पर कोई परिलाभ प्राप्त करने का दावा नहीं करेगा। उक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य